

माननीय—जे. एस. सेखों, जे. के समक्ष

द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ और अन्य, -याचिकाकर्ता।

बनाम

सहायक संग्रहकर्ता, केंद्र एक्साइज. चंडीगढ़ और एक और, -उत्तरदाता।

Criminal Misc. No. 11091-M of 1990

11 अक्टूबर, 1991।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944-एस. 9 और 9-ए. ए.-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 20-केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी-वास्तविक से कम उत्पादन दर्शाने वाली कंपनी-डुप्लिकेट बिल तैयार करके माल दुलाई शुल्क की अपस्फीति-बदले में प्रभारों को संभालने का कोई भ्रम नहीं-मानित दायित्व-धारा 9 ए. ए. इस तरह के दायित्व से निपटने के लिए-प्रबंध निदेशक की सहमति को पूर्व-म्लान माना जाना चाहिए-धारा 9 ए. ए. हालांकि, 21 दिसंबर, 1985 को जोड़ा गया-1982 से 1987 की अवधि के दौरान किया गया अपराध-21 दिसंबर, 1985 से पहले की घटनाओं से संबंधित ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

अभिनिर्धारित किया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की खंड 9ए की उप-खंड (2) के प्रावधान के अनुसार निदेशक, प्रबंधक सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी उत्तरदायी हैं यदि अपराध ऐसे व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत से या उपेक्षा के कारण किया गया है। वर्तमान मामले में, माल दुलाई शुल्क को घटाकर डुप्लिकेट बिल तैयार करके वास्तविक से कम उत्पादन को दर्शाकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी और वापसी में हैंडलिंग शुल्क को शामिल नहीं करके कंपनी के लाभ के लिए, उनके प्रबंध निदेशक की मिलीभगत को पूर्व-प्रत्यक्ष माना जाना चाहिए। इस प्रकार मानित दायित्व के आधार पर, कंपनी का अध्यक्ष या प्रबंधक 27 दिसंबर, 1985 के बाद अपने कार्यों या चूक के लिए उत्तरदायी होगा क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत, एक व्यक्ति केवल कानून के अस्तित्व के प्रावधानों के खिलाफ अपराध कर सकता है। इस प्रकार, इन परिस्थितियों में, 27 दिसंबर, 1985 से पहले की घटनाओं से संबंधित निचली अदालत के आदेश को इस निर्देश के साथ रद्द करना होगा कि निचली अदालत 27 दिसंबर, 1985 के बाद की अवधि से संबंधित आरोपों के लिए आरोप तय करेगी।

^12)

दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के तहत याचिका, प्रार्थना करती है कि:—

- (i) वह नियम जारी किया जाए;
- (ii) कि 28 फरवरी, 1989 तारीख की आपराधिक शिकायत में अभिलेख और कार्यवाही को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ की अदालत से बुलाया जाए और इसकी वैधता की जांच करने के बाद उक्त कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।
- (iii) इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटारे तक, 1989 के आपराधिक मामले में निचली निचली अदालत के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए, जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ के समक्ष लंबित है।
- (iv) कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार ऐसी और अन्य राहत दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल, आर. के. हांडा और सुश्री किरण रंधावा उनके साथ अधिवक्ता हैं।

एच. एस. बरार, वरिष्ठ केंद्र सरकार के स्थायी वकील, 25 जनवरी, 1991 को, जब दलीलें समाप्त की गईं, प्रतिवादीओं के लिए।

निर्णय

जे. एस. सेखों, जे.

याचिकाकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 482 के तहत दायर इस याचिका द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ की अदालत में लंबित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 9 के तहत अपराध के लिए शिकायत संलग्नक P1 को रद्द करने की मांग की है।

(2) शिकायत के तथ्यों के संक्षिप्त विवरण में कहा गया है कि मैसर्स इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र-1, चंडीगढ़ में स्थित है; श्री बाहुबली गुलाब चंद, अभियुक्त-याचिकाकर्ता कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं जबकि श्री ए. के. जौहरी अभियुक्त याचिकाकर्ता इसके प्रबंधक हैं। कंपनी आर. सी. सी. पाइप

और कॉलर्स फॉलिंग के निर्माण में लगी हुई है।केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के नए अध्याय उपशीर्षक संख्या 6807-00 के तहत।आर. सी. सी. पाइप और कॉलर्स के निर्माण पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के तहत देय था।अभियुक्त संख्या 1,2 और 3 फर्म के इस व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं और इस प्रकार इसके उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं।शुल्क का आकलन एडवेलोरम दर पर किया जाता है।सामानों की आपूर्ति मुख्य रूप से सरकारी विभागों को की जाती है, जिन्हें प्रेषण से पहले निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है।केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लेखा परीक्षकों ने पाया कि कंपनी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से एक करोड़ रुपये से अधिक की चोरी कर रही है। अप्रैल 1982 से जनवरी 1987 तक ,अनुलग्नक ए से डी में दिए गए विवरण के अनुसार, 4,09,482.08 पैसे अपने उत्पादन को दबाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को सूचित की गई दरों की तुलना में खरीदारों से अधिक दर वसूल कर, माल ढुलाई के कारण अधिक कटौती का दावा करते हुए वास्तविक और खुले बाजार दरों की तुलना में और यहाँ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आकलन योग्य मूल्य में संचालन शुल्क को शामिल नहीं करके:—

- (a) “कि निरीक्षण के लिए प्रस्तावित आर. सी. सी. पाइप और कॉलर की मात्रा आर. जी. आई. रजिस्टर के अनुसार स्टॉक में दिखाई गई मात्रा से बहुत अधिक थी।संलग्नक ए में विस्तृत निरीक्षण टिप्पणियों पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाते हैं और अभियुक्त द्वारा उनकी प्रति प्राप्त की जाती है।अभियुक्त संख्या 2 और 3 ने अपने उत्पादन का ठीक से हिसाब नहीं दिया और दबाए गए उत्पादन को गुप्त रूप से हटा दिया गया क्योंकि माल को पहले ठीक करने के बाद आर. जी. आई. रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और फिर निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है जैसा कि अभियुक्त संख्या 3 ने 9 फरवरी, 1987 के पत्र में स्वीकार किया था।
- (b) कि अभियुक्त संख्या 2 और 3 एक ही माल (प्रेषक) के लिए दो अलग-अलग बिल उठा रहे थे।केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को प्रस्तुत किए गए बिल खरीदारों के पास दाखिल किए गए बिलों की तुलना में कम मूल्य के थे, जिससे संलग्नक बी में दिए गए विवरण के अनुसार केंद्रीय उत्पाद शुल्क से बचा जा सकता था।
- (c) कि स्टोर नियंत्रक, पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा अनुमोदित दरें एफ. ओ. आर. गंतव्य थीं और शुल्क का आकलन करने के उद्देश्य से केंद्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम, 1944 की खंड 4 के तहत आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए माल ढुलाई की कटौती की जानी थी।अभियुक्त

संख्या 2 और 3 खुले बाजार में प्रचलित दरों की तुलना में अधिक दरों पर निर्धारित मूल्य से माल ढुलाई की कटौती का दावा कर रहे थे, जैसा कि 4 फरवरी, 1987 को ऐसे माल के ट्रांसपोर्टर द्वारा दिए गए उद्धरणों से देखा जाता है।

(d) कि अभियुक्त संख्या 2 और 3, एक ट्रांसपोर्टर के साथ किए गए अपने समझौते के अनुसार, ट्रांसपोर्टरों से हैंडलिंग शुल्क का दावा कर रहे थे, लेकिन उस राशि को आकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया था।”

(3) इस प्रकार शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 226 के साथ पढ़े गए नियम 9(1), 52-ए, 53, 173-एफ, 173-जी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1987 की अवधि के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क 4,09,482.08 पैसे की चोरी की है।

(4) उपर्युक्त शिकायत में कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस याचिका में, यह कहा गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVII के तहत, अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग आरोप होना चाहिए और अधिकतम तीन अपराधों के लिए अलग-अलग आरोप होना चाहिए। एक कैलेंडर वर्ष के भीतर प्रतिबद्ध प्रकार का एक साथ अभियोग किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा मामले में, पांच साल की अवधि की घटना को एकल शिकायत का विषय बना दिया गया है और इस प्रकार यह शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह अंतर्निहित कानूनी कमजोरी से ग्रस्त है। यह भी तर्क दिया गया है कि कंपनी के अध्यक्ष और स्थानीय प्रबंधक केवल तभी उत्तरदायी होंगे यदि विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है या वैकल्पिक रूप से, यदि अपराध में उनकी मिलीभगत या भागीदारी या ऐसा करने में विफलता के सबूत हैं कुछ कार्य जो कानून अभियुक्त को देता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की नागव्वा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा नोनजाल्गी और अन्य¹ को आधार बनाकर यह भी कहा गया है कि बॉम्बे में कंपनी का अध्यक्ष कंपनी का संपूर्ण प्रभारी है और उसका चंडीगढ़ में किए गए कथित अपराधों से कोई लेना-देना नहीं है, जबकि श्री जौहरी संबंधित अवधि के दौरान कंपनी की चंडीगढ़ इकाई के प्रबंधक नहीं थे। क्यों की उन्होंने 1 फरवरी, 1987 को पदभार संभाला था। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 पर अधिनियम की धारा 9 के तहत आरोप लगाए गए हैं जैसे कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अधिनियम की धारा 9 के तहत अपराध में भाग लिया हो। और धारा 9-ए के प्रावधानों को 27 दिसंबर 1985 से अधिनियम में शामिल किया गया है, - 1985 के अधिनियम संख्या 79 के तहत याचिकाकर्ताओं पर उससे पहले हुई कथित घटनाओं और अभियोजन पर लागू नहीं होंगे। धारा 9-ए के

¹ A.I.R.1976 S.C. 1947

सम्मिलन के बाद हुई घटनाओं से संबंधित, कंपनी या उसके निदेशकों, पदाधिकारियों की समझी गई देनदारी के आधार पर, पहले की घटनाओं से विभाजित होने में असमर्थ होना, बनाए रखने योग्य नहीं है। यह भी माना जाता है कि इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बॉम्बे में था और पूरे भारत में इसकी इक्यावन फैक्ट्रियाँ थीं और प्रशासनिक कार्य ऐसी इकाई के प्रबंधन के साथ एक स्तरीय प्रणाली पर फैले हुए हैं। यूनिट का प्रमुख सर्कल के प्रभारी को रिपोर्ट करता है और सर्कल का प्रभारी बॉम्बे में मुख्य कार्यकारी अभियंता को रिपोर्ट सौंपता है। इस प्रकार निदेशक मंडल का संबंध केवल नीतिगत निर्णय लेने और कंपनी से निपटने से है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पाइपों के निर्माण की प्रक्रिया तब पूरी हो जाती है जब ये क्योरिंग टैंक से बाहर आते हैं और आर.जी.आई. में प्रवेश करते हैं और विभाग ने गलत अनुमान लगाया है कि याचिकाकर्ता आर.जी.आई. में दर्शाए गए माल की तुलना में अधिक माल का निर्माण कर रहे हैं।

(5) श्री मेवा सिंह, सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चंडीगढ़ द्वारा दायर जवाब में यह कहा गया है कि विभाग उन सभी मामलों में पांच साल की अवधि के भीतर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग करने के अपने अधिकार के भीतर है जहां पार्टी ने अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं के उत्पादन को दबा दिया था या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए। श्री जौहरी को फरवरी 1987 के महीने में प्रबंधक के रूप में तैनात किए जाने के बारे में किसी विशेष इनकार के बिना, लेकिन दूसरी ओर, यह कहा जाता है कि कंपनी का अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है क्योंकि वह कंपनी के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान प्रबंधन की चूक और कमीशन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह भी कहा गया कि किसी भी मामले में कंपनी, उसके अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और प्रबंधक के दायित्व को अधिनियम की खंड 9-ए के प्रावधानों के लागू होने के बाद अच्छी तरह से विभाजित किया जा सकता है क्योंकि उत्पाद शुल्क की चोरी के परिणामस्वरूप होने वाली घटनाएं विशिष्ट अवधि की होती हैं। यह आगे कहा गया है कि मामले के गुण-दोष विस्तृत साक्ष्य का विषय होंगे और वर्तमान स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(6) मैंने अभिलेख को पढ़ने के अलावा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है।

(7) इस कानूनी स्थिति पर कोई विवाद नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है यदि शिकायत में लगाए गए आरोप या गवाहों के बयान उनके अंकित मूल्य पर लिए गए हैं, तो आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है या शिकायत किसी अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है जो आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया है या जहां शिकायत में लगाए गए

आरोप स्पष्ट रूप से हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं। श्रीमती नागावा बनाम वीर अन्ना शिवलिंगप्पा कोंजलगी और अन्य (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय ने चार विचार रखे थे जिनके तहत एक शिकायत को रद्द या निर्धारित किया जा सकता है; ये हैं:—

- (1) “जहाँ शिकायत में लगाए गए आरोप या समर्थन में दर्ज किए गए गवाहों के बयान "उनके फीता मूल्य पर लिए जाने पर अभियुक्त के खिलाफ आत्यन्तिक रूप कोई कार्यवाही नहीं निकलती है या शिकायत किसी अपराध के आवश्यक अवयवों का खुलासा नहीं करती है जो अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाया जाता है;
- (2) जहाँ शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं ताकि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर न पहुँच सके कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है;
- (3) जहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा जारी करने की प्रक्रिया में प्रयोग किया गया विवेकाधिकार मनमाना और मनमाना है जो या तो किसी साक्ष्य पर या ऐसी सामग्री पर आधारित नहीं है जो पूरी तरह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य है; और
- (4) जहाँ शिकायत मौलिक कानूनी दोषों से ग्रस्त है, जैसे कि मंजूरी की अनुपस्थिति में, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत की अनुपस्थिति में और इसी तरह।”

(8) इसके बाद सवाल उठता है कि क्या वर्तमान मामले में उपरोक्त सभी विचार उपलब्ध हैं। इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि शिकायत संलग्नक में लगाए गए आरोपों को उसमें उल्लिखित संलग्नकों के आलोक में पढ़ा जाना आवश्यक है। कलेक्टर द्वारा विनिर्माण कंपनी को दिए गए सूचना संलग्नक पी2 के अवलोकन से पता चलता है कि खरीदारों को निरीक्षण के लिए दी गई आर. सी. सी. पाइप और कॉलर की मात्रा आर. जी. आई. रजिस्टर में प्रविष्टि के अनुसार स्टॉक की तुलना में बहुत अधिक थी। निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण अनुलग्नक-ए में दिया गया है। यह ध्यान में रखते हुए कि खरीदारों द्वारा केवल तैयार माल का निरीक्षण किया जाता है, यह स्पष्ट करता है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिबबल के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि शिकायतकर्ता के इस आरोप में कोई सार नहीं था। दूसरा आरोप इस तथ्य से संबंधित है कि निर्धारिती अभियुक्त-याचिकाकर्ता एक ही माल के लिए दो अलग-अलग बिल जुटा रहा था। विभाग को प्रस्तुत किए गए बिल खरीदारों के पास दाखिल किए गए बिलों की तुलना में कम मूल्य के थे, जिससे केंद्रीय उत्पाद शुल्क से बचा

जा सकता था। बिलों का विवरण अनुलग्नक-बी में दिया गया है। तीसरा आरोप है कि निर्धारिती खुले बाजार में प्रचलित या स्टोर नियंत्रक, पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा अनुमोदित मूल्य से उच्च माल ढुलाई की कटौती का दावा कर रहा था। चौथा आरोप है कि निर्धारिती के संचालन शुल्क का दावा करने के लिए ट्रांसपोर्टर के साथ किए गए समझौते के अनुसार उसके आचरण से संबंधित है परिवहनकर्ता ने लेकिन उस राशि को मूल्यांकन योग्य में मूल्य शामिल नहीं किया। उपर्युक्त आरोप ऐसी प्रकृति के हैं जिससे समग्र रूप से कंपनी को लाभ होगा न कि स्थानीय इकाई के प्रभारी अधिकारी को। दूसरे शब्दों में, यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि कंपनी द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से बचने के लिए इस तरह की कार्यप्रणाली को संभवतः कंपनी के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या किसी प्रभारी व्यक्ति की मिलीभगत के बिना विकसित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार इस मामले की परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोप की सामग्री स्पष्ट रूप से कंपनी के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक की पूरी जिम्मेदारी से संबंधित नहीं है।

(9) इसके बाद सवाल उठता है कि क्या कंपनी का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक धारा 9 (1) (बी) और 9 (1) (बी. बी) के तहत अपराधों के लिए उत्तरदायी और अधिनियम की धारा 9 (1) (आई) के तहत दंडनीय होगा। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:—

“धारा 9-अपराध और दंड।—(1) जो कोई भी निम्नलिखित अपराधों में से कोई भी करता है, अर्थात्:—

(ख) इस अधिनियम के तहत देय किसी भी शुल्क के भुगतान से बचता है;

(ख) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किसी भी उत्पाद शुल्क को हटा देता है या किसी भी तरह से इस तरह के हटाने से संबंधित है;

दंडनीय होगा।—

(i) किसी भी उत्पाद शुल्क से संबंधित अपराध के मामले में, इस अधिनियम के तहत देय शुल्क एक लाख रुपये से अधिक है, जिसमें कारावास की अवधि हो सकती है, सात साल और जुर्माने के साथ:

बशर्ते कि न्यायालय के निर्णय में इसके विपरीत दर्ज किए जाने वाले विशेष और पर्याप्त कारणों की अनुपस्थिति में ऐसा कारावास छह महीने से कम की अवधि के लिए नहीं होगा।

(ii) XXXXXXXX-x

(10) उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रावधानों पर एक नज़र डालने पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 9 व्यक्तियों के व्यक्तिगत दायित्व से संबंधित है न कि उनके माने मानित दायित्व से। कंपनी और उसके अधिकारियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए, विधानमंडल द्वारा 27 दिसंबर, 1985 से धारा 9-ए को जोड़ा गया था। धारा 9-ए निम्नानुसार है:—

“धारा 9-ए 'कंपनियों द्वारा अपराध-(1) जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा:

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसा अपराध करने से रोकने के लिए सभी उचित लापरवाही का प्रयोग किया था।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

व्याख्या: इस खंड के प्रयोजनों के लिए:—

- (a) ““कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और
- (b) “किसी फर्म के संबंध में निदेशक का अर्थ है फर्म में भागीदार।”

(11) उपर्युक्त निर्दिष्ट धारा के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के साथ-साथ उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, अपराध का दोषी माना जाएगा। उप-धारा (1) में संलग्न प्रावधान से पता चलेगा कि ऐसा व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था। नतीजतन, कंपनी का अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक उपरोक्त निर्दिष्ट कार्यों या चूक के लिए दायित्व से केवल तभी बच सकता है जब वह साबित करता है कि कार्य उसकी जानकारी के बिना किए गए हैं या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था। दूसरी ओर, इस खंड की उप-खंड (2) के प्रावधान कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारियों को उत्तरदायी बनाते हैं यदि अपराध ऐसे व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत से या उपेक्षा के कारण किया गया है। जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, माल ढुलाई शुल्क को घटाकर डुप्लिकेट बिल तैयार करके वास्तविक से कम उत्पादन को दर्शाकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी और स्वयं कंपनी के लाभ के लिए वापसी में हैंडलिंग शुल्क को शामिल नहीं करके, प्रबंध निदेशक की मिलीभगत को प्रत्यक्ष रूप से माना जाना चाहिए।

(12) हालाँकि, श्री सिब्ल का तर्क अच्छी तरह से स्थापित है कि अधिनियम की धारा 9-ए के प्रावधान 27 दिसंबर, 1985 से कदाचार पर लागू होंगे, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत, एक व्यक्ति केवल कानून के मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ अपराध कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (एन) में अपराध की परिभाषा भी इसी तरह की है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (38) पर अपराध की परिभाषा भी इसी प्रभाव से है। इस प्रकार मानित दायित्व के आधार पर, कंपनी का अध्यक्ष या प्रबंधक 27 दिसंबर, 1985 के बाद अपने कार्यों या चूक के लिए उत्तरदायी होगा। शिकायत के अनुलग्नक ए और बी के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी विशेष रूप से 27 दिसंबर, 1985 के बाद भी कुछ अपराधकारी कृत्यों में लिप्त थी। इस प्रकार इन परिस्थितियों में, 27 दिसंबर, 1985 से पहले की घटनाओं से संबंधित निचली अदालत के आदेश को इस निर्देश के साथ रद्द करना होगा कि निचली अदालत 27 दिसंबर, 1985 के बाद की अवधि से संबंधित आरोपों के लिए नए सिरे से आरोप तय करेगी।

(13) यह विवादित नहीं है कि श्री ए. के. जौहरी, प्रतिवादी संख्या 3, कंपनी के प्रबंधक को 1 फरवरी, 1987 को चंडीगढ़ इकाई में तैनात किया गया था, जबकि आरोप जनवरी, 1987 तक की अवधि से संबंधित हैं। इस प्रकार श्री जौहरी को संबंधित अवधि के दौरान उपरोक्त निर्दिष्ट अपराधों के लिए प्रत्यक्ष रूप से भी उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है, भले ही पूरे आरोप सही हों। इस प्रकार श्री ए. के. जौहरी के खिलाफ उपरोक्त संदर्भित शिकायत पर आपराधिक कार्यवाही जारी रखना निश्चित रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

(14) श्री सिब्बल के अंतिम तर्क में काफी बल है कि, निचली अदालत दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVII के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही थी, जैसा कि सामान्य रूप से अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1987 तक पांच साल की अवधि के दौरान अपराधों के लिए संयुक्त आरोप का गठन किया गया था। संहिता की धारा 218 के प्रावधानों में अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग आरोप तैयार करने का प्रावधान है, जब तक कि आरोपी अन्यथा लिखित रूप में उन पर पूर्वाग्रह से बचने के लिए अलग-अलग आरोप नहीं लगाना चाहता है। जबकि संहिता की खंड 219 एक वर्ष की अवधि के भीतर किए गए एक ही प्रकार के तीन अपराधों के लिए संयुक्त आरोप तैयार करने का प्रावधान करती है। संहिता की धारा 220 के प्रावधानों में आगे एक संयुक्त आरोप तैयार करने और उन मामलों में एक परीक्षण आयोजित करने का प्रावधान है जहां कृत्यों की श्रृंखला इस तरह से जुड़ी हुई है कि एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों की तुलना में अधिक अपराधों का पता लगाने के लिए एक ही लेनदेन का निर्माण किया जा सके। लेकिन शिकायत या उसके परिणामस्वरूप होने वाली कार्यवाही को केवल इसी आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब संहिता की धारा 216 के प्रावधान न्यायालय को निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप में बदलाव या जोड़ने का अधिकार देते हैं, बशर्ते कि इस तरह के प्रत्येक जोड़े गए या बदले गए आरोप को पढ़ा जाएगा और आरोपी आदि को समझाया जाएगा। हालाँकि, निचली अदालत बाहुबली गुलाबचंद अभियुक्तों के खिलाफ नए आरोप तैयार करते समय संहिता के अध्याय XVII के प्रावधानों को ध्यान में रखेगी।

(15) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, श्री ए. के. जौहरी के मामले में शिकायत के साथ-साथ उसके परिणामस्वरूप आगे की कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है, जबकि कंपनी और बाहुबली गुलाबचंद के मामले में, अधिनियम की धारा 9-ए. ए. को शामिल करने से पहले की अवधि यानी 27 दिसंबर, 1985 से पहले की घटनाओं से संबंधित शिकायत और आरोप को, इस याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करके, रद्द कर दिया जाता है। बाहुबली गुलाबचंद याचिकाकर्ता को अपने वकील द्वारा से 25 जनवरी, 1991 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा